संख्या-208/2023/6329/नौ-5-2023/001-Computer No-1758828

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय),
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 04 दिसंबर, 2023

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-25041/2023 श्री मेवालाल एवं 08 अन्य बनाम अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर एवं 02 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2023 के अनुपालन में मुआवजे के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-355/नागर-1/032-कोर्ट केस मेवालाल, दिनांक 09.11.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-25041/2023 श्री मेवालाल एवं 08 अन्य बनाम अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर एवं 02 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2023 के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं को मुआवजे की धनराशि **रू0 98,15,020.00 (रुपये अट्ठानबे लाख पंद्रह हजार बीस मात्र)** का भुगतान निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का कोई अंश पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 98,15,020 (रुपये अट्ठानबे लाख पंद्रह हजार बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217808000900 मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु व्यवस्था **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

04-12-2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Arun ji-Go-SBM-2023-24-VC

संख्या-208/2023/6329(1)/नौ-5-2023/001-Computer No-1758828, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3-जिलाधिकारी, लखनऊ।

4-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।

5-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

6-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।

7-अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), कानपुर।

8-मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

9-मुख्य अभियन्ता (का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), कानपुर।

10-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

11-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

12-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

13-अनुभाग अधिकारी, नगर विकास अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।

14-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
4.12.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-208(1)/2023/6329(1)/नौ-5-2023/001-Computer No-1758828
लखनऊ:: दिनांक 11 दिसम्बर, 2023

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-208/2023/6329/नौ-5-2023/001-Computer No-1758828 दिनांक 04.12.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-25041/2023 श्री मेवालाल एवं 08 अन्य बनाम अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर एवं 02 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2023 के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं को मुआवजे की धनराशि **रू0 98,15,020.00 (रुपये अट्ठानबे लाख पंद्रह हजार बीस मात्र)** की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 04.12.2023 के नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों के बिन्दु संख्या-(1) में त्रुटिवश "स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।" शर्त अंकित हो गया है।

3- अत: शासनादेश दिनांक 04.12.2023 के नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों के बिन्दु संख्या-(1) में त्रुटिवश "स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी" के स्थान पर **"उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण जिलाधिकारी, कानपुर द्वारा सुसंगत नियमों/ प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा"** समझा एवं पढ़ा जाय।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 04.12.2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा व समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

11.12.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-208/2023/6329(2)/नौ-5-2023/001-Computer No-1758828, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी, कानपुर।
4-मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
5-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
8-अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), कानपुर।
9-मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
10-मुख्य अभियन्ता (का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), कानपुर।
11-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14-अनुभाग अधिकारी, नगर विकास अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
15-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
11.12.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Arun ji-Go-SBM-2023-24-VC

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-11/12/2023

प्रेषण संख्या:- 208
आवंटन आदेश संख्या:- 001-208-2023-6329-9-5-2023-001-CN-1758828
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
09 - मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	कानपुर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9815020 9815020	9815020 9815020
	योग	वर्तमान प्रगामी	9815020 9815020	9815020 9815020

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठानवे लाख पन्द्रह हजार बीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठानवे लाख पन्द्रह हजार बीस

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव